

SHAKUMBHRI PULP AND PAPER MILLS LIMITED

REGD. OFF. 4.5 KM BHOPA ROAD MUZAFFARNAGAR UTTAR PRADESH 251001

**CIN: L21012UP1986PLC007671
GSTIN: 09AABCS9947E1ZZ**

**Ph. No.-7895512368 website: shakumbhripulp.com
E-mail: shakumbhri@yahoo.com,
shakumbhripaper@gmail.com**

20/01/2025

To

**Metropolitan Stock Exchange of India Limited,
Vibgyor Towers, 4th floor, Plot No C 62, G - Block,
Opp. Trident Hotel, Bandra Kurla Complex, Bandra (E),
Mumbai – 400 098, India.**

Subject: Disclosure of Litigation under Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirement), Regulation, 2015 read with SEBI Circular dated 9th September, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015 and in continuation of disclosure dated 16/08/2023 regarding appeal filed with the GST Appellate Authority against an order passed by the Joint Commissioner, Corporate Circle, Saharanpur, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh for demand of Rs. 26,86,342/- including tax, Interest and penalty; we wish to inform you that order has been passed by the appellate authority in the matter in favour of company and the demand of Rs. 26,86,342/- including tax, Interest and penalty is dismissed by the appellate authority. Therefore, company is not required to pay any amount in the matter. Copy of order has been received by the company on 20/01/2025.

Further, the requisite details as required under the Listing Regulations and SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-1/P/CIR/2023/123 July 13, 2023 are enclosed herewith as Annexure - A. Copy of order is also attached herewith.

Please take the same on record.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Shakumbhri Pulp & Paper Mills Limited

**Ayushi Gupta
Company Secretary and Compliance officer
Address: 4.5 K.M, Bhopa Road
Muzaffarnagar Uttar-Pradesh-251001**

Annexure -A

Brief Details of litigation

S.No.	Particulars	Details
1	Name(s) of the opposing party	Joint Commissioner, Corporate Circle, Saharanpur, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh
2	Court/ tribunal/agency where litigation is filed	Appeal is filed before the GST Appellate Authority.
3	Brief details of dispute/litigation	<p>Joint Commissioner, Corporate Circle, State Tax, Saharanpur, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh passed an order u/s 74 read with Rule 142(5) of CGST Act, 2017 for a demand of Rs. 26,86,342/- in respect of the period of F.Y. 2017-18.</p> <p>Hence, appeal was filed by company with the GST Appellate Authority against the order and the GST Appellate Authority has passed the order in favour of company and dismissed the demand raised by Joint Commissioner, Corporate Circle, Saharanpur, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh</p>
4	Expected financial implications, if any, due to compensation, penalty etc	Nil. Order is passed in favour of the company
5	Quantum of claims, if any;	Nil

न्यायालय - अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील) राज्य कर मुजफ्फरनगर ।

समक्ष - श्री अरुण कुमार सिंह, अपर आयुक्त ग्रेड-2(अपील) राज्य कर ।

अपीलसं0:-GST/0364/2023 वर्ष 2017-18 GST की धारा 74 (JULY 2017 TO MARCH 2018)

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

(ARN-AD090823065523V)

(GSTIN-09AABCS9947E1ZZ)

बनाम

श्री सूर्यभान सिंह, संयुक्त आयुक्त(कारपोरेट सर्किल) राज्य कर, मुजफ्फरनगर ।

प्रतिनिधित्व:-

अपीलकर्ता की ओर से

- श्री सुनील गर्ग, अधिवक्ता फर्म ।

विभाग की ओर से

- श्री सूर्यभान सिंह, संयुक्त आयुक्त(कारपोरेट)राज्य कर मुजफ्फरनगर ।

:: निर्णय ::

(उ0 प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 107(11) के अंतर्गत)

अपीलसं0: GST/0364/2023 वर्ष 2017-18 के लिए श्री सूर्यभान सिंह, संयुक्त आयुक्त(कारपोरेट सर्किल) राज्य कर, मुजफ्फरनगर (जिसे आगे प्रापर ऑफिसर कहा गया है) द्वारा M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar (जिसे आगे अपीलार्थी कहा गया है) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु उत्तर प्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 सपठित केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017(जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) की धारा 74 (कर अवधि माह जुलाई 2017 टू मार्च 2018) के अंतर्गत पारित आदेश सं0 ZD090523091976R दिनांक 19.05.2023 के विरुद्ध दायर की गयी है जिसमें अपीलार्थी द्वारा कर, ब्याज व अर्थदण्ड का कोई दायित्व स्वीकार नहीं किया गया है जबकि प्रापर आफिसर द्वारा अपीलार्थी पर रू0 9,01,378.00 कर, रू0 8,51,269.00 ब्याज व रू0 9,33,695.00 अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत अपील में कुल रू0 26,86,342.00 कर, ब्याज व अर्थदण्ड की धनराशि विवादित है।

2- वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि करदाता द्वारा दाखिल जीएसटीआर 2 ए की जांच पर पाया गया कि जीएसटीआर 2 ए में कतिपय इनवर्ड सप्लायर तथा आईटीसी इस प्रकार की प्रदर्शित हो रही है जिनके सप्लायर्स द्वारा जीएसटीआर 1 में वर्ष 2017-18 की कर अवधि की सप्लायर विस्तारित अवधि दिनांक 13.04.2019 के पश्चात दर्शायी गयी है, जिसका लाभ नियमानुसार देय नहीं है। उक्त के अतिरिक्त जीएसटीआर 2 ए में आटोपापुलेट आईटीसी की जांच पर पाया गया कि सप्लायर फर्म प्रमोद यादव(सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी) का जीएसटीएन दिनांक 23.09.2019 से कैंसिल है। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न माहों में विभिन्न फर्मों से आपके द्वारा प्रदर्शित संव्यवहारों के संबंध में खरीद बिक्री की चेन श्रृंखला की जांच करने पर पाया गया कि सप्लायर चेन की अनुवर्ती/अन्तिम कडी पर अवस्थित सप्लायर के द्वारा वास्तविक रूप से कोई खरीद नहीं की गयी है अर्थात् उनका जीएसटीआर 2 ए निल है अथवा उनके द्वारा जीएसटीआर 2 बी दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा कैश लेजर में कोई धनराशि नहीं है। उनके द्वारा कैश लेजर में भी आउटपुट टैक्स लाइबेलिटी का कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रश्नगत संव्यवहारों के संबंध में वास्तविक रूप से राजकीय कोषागार में कोई कर जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत संव्यवहारों में धारा 16(2)(सी) एवं नियमावली के नियम 36 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। उपरोक्त कमियों के आधार पर प्रापर आफिसर द्वारा अपीलार्थी को नोटिस जारी की गयी तथा उक्त के संबंध में अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों को संतोषजनक न मानते हुए लिखित स्पष्टीकरण को अस्वीकार किया गया तथा धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए कर, ब्याज व अर्थदण्ड का आरोपण किया गया है, जो प्रश्नगत अपील में विवादित बिन्दु है।

3- अपील की सुनवाई हेतु श्री सुनील गर्ग, अधिवक्ता फर्म उपस्थित हुए तथा अपील मीमों में उल्लिखित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि अपीलार्थी फर्म विभाग में GSTIN -09AABCS9947E1ZZ पर पंजीकृत है। प्रापर आफिसर द्वारा प्रथम आपत्ति यह उठायी है कि जीएसटीआर 2 ए में कतिपय इनवर्ड सप्लायर तथा आईटीसी इस प्रकार की प्रदर्शित हो रही है जिनके सप्लायर्स द्वारा जीएसटीआर 1 में वर्ष 2017-18 की कर अवधि की सप्लायर विस्तारित अवधि दिनांक 13.04.2019 के पश्चात दर्शायी गयी है, जिसके संबंध में अपीलार्थी द्वारा कहा गया कि भारत सरकार

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

द्वारा अधिनियम में धारा 16(5) का समावेश किया गया है ऐसी दशा में अपीलार्थी को प्रश्नगत आईटीसी का लाभ अनुमन्य योग्य है। धारा 16(5)का उल्लेख निम्नवत् किया गया है-

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

इस प्रकार विक्रेताओं द्वारा विलम्ब से दाखिल जीएसटीआर-1 के आधार पर प्रापर आफिसर द्वारा धारा 74 के अंतर्गत की गयी कार्यवाही को अनुचित बताया गया। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि प्रापर आफिसर द्वारा विवादित आदेश में लल्लन कुमार गुप्ता स्लपयर मानते हुए इनके द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल न किये जाने के आधार पर कार्यवाही की गयी है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त नाम के किसी व्यापारी से कोई खरीद नहीं की गयी है तथा वास्तव में उक्त व्यक्ति कोई व्यापारी न होकर एक ट्रान्सपोर्टर है। जिसके साक्ष्य हेतु बिल्टी की छाया प्रति दाखिल की गयी तथा कहा गया कि उनके द्वारा उक्त बिल्टी सं0 059 दिनांक 07.01.2018 के माध्यम से सर्वश्री गिन्नी इन्टरप्राइजेज मुजफ्फरनगर से इनवायस सं0 3167 दिनांक 07.01.2018 से खरीद की गयी है जो बिल टू शिप टू के माध्यम से M/s Saryansh Traders Rewari H.R. GSTIN-09ANEPG7800M1ZZ से की गयी है। उपरोक्त प्रपत्र साक्ष्य हेतु दाखिल किये गये तथा कहा गया कि उक्त प्रपत्र प्रापर आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के बावजूद भी प्रापर आफिसर द्वारा उक्त का कोई संज्ञान न लेते हुए धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है जो अनुचित है।

अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि प्रापर आफिसर द्वारा यह आपत्ति यह उठायी है कि सप्लायर फर्म प्रमोद यादव(सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी) से संगत अवधि में रू0 3105670.50 की खरीद की गयी थी जिसपर रू0 372680.46 कर अदा करते हुए आईटीसी का दावा किया गया था। अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि विक्रेता द्वारा उपरोक्त बिक्री को जीएसटीआर-1 में नियमानुसार घोषित किया गया है तथा उक्त खरीदे अपीलार्थी के जीएसटीआर 2 ए में आटोपापुलेट हो रही है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि उपरोक्त विक्रेता द्वारा अपना GSTIN-07ACOPY9140K1ZR दिनांक 23.09.2019 से Suo - Moto निरस्त किया गया है तथा उपरोक्त विक्रेता फर्म प्रश्नगत खरीदों के समय विभाग में पंजीकृत रही है तथा उनके द्वारा नियमानुसार जीएसटीआर 1 / 3 बी/जीएसटीआर 9 दाखिल किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत विक्रेता से की गयी खरीद के संबंध में बिल, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची, लेजर एन्ट्री, भुगतान का साक्ष्य, जीएसटीआर 2 ए की प्रति भी दाखिल की गयी तथा उक्त फर्म को बोगस/अस्तिवहीन मानते हुए की गयी कार्यवाही को अनुचित बताया गया।

अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि प्रापर आफिसर द्वारा यह आपत्ति उठायी है कि विभिन्न माहों में विभिन्न फर्मों से आपके द्वारा प्रदर्शित संव्यवहारों के संबंध में खरीद बिक्री की चेन श्रृंखला की जांच करने पर पाया गया कि सप्लायर चेन की अनुवर्ती/अन्तिम कडी पर अवस्थित सप्लायर के द्वारा वास्तविक रूप से कोई खरीद नहीं की गयी है अर्थात् उनका जीएसटीआर 2 ए निल है अथवा उनके द्वारा जीएसटीआर 2 बी दाखिल नहीं किया गया है। उनके द्वारा कैश लेजर में कोई धनराशि नहीं है। उनके द्वारा कैश लेजर में भी आउटपुट टैक्स लाइबेलिटी का कोई समायोजन नहीं किया गया है। इस प्रकार उनके द्वारा प्रश्नगत संव्यवहारों के संबंध में वास्तविक रूप से राजकीय कोषागार में कोई कर जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत संव्यवहारों में धारा 16(2)(सी) एवं नियमावली के नियम 36 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ है। उपरोक्त के संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि करदाता द्वारा संगत अवधि में सर्वश्री शुभ शक्ति क्राफ्ट GSTIN-07ANZPS2819M1ZZ तथा सर्वश्री इशान पेपर ट्रेडर्स GSTIN-07BBGPG1866A1Z2 से रा-मैटीरियल की खरीद करते हुए आईटीसी का दावा किया गया था। अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि विक्रेता द्वारा उपरोक्त बिक्री को जीएसटीआर-1 में नियमानुसार घोषित किया गया है तथा उक्त खरीदे अपीलार्थी के जीएसटीआर 2 ए में आटोपापुलेट हो रही है। अपीलार्थी द्वारा यह भी कहा गया कि उपरोक्त विक्रेताओं द्वारा अपना GSTIN क्रमशः दिनांक 17.09.2022 व दिनांक 05.04.2024 से Suo - Moto निरस्त

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

किया गया है तथा उपरोक्त विक्रेता फर्म प्रश्नगत खरीदों के समय विभाग में पंजीकृत रही है तथा उनके द्वारा नियमानुसार जीएसटीआर 1 / 3 बी/जीएसटीआर 9 दाखिल किये गये हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत विक्रेता से की गयी खरीद के संबंध में बिल, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची, लेजर एन्ट्री, भुगतान का साक्ष्य, जीएसटीआर 2 ए की प्रति भी दाखिल की गयी। अपीलार्थी द्वारा आगे कहा गया कि प्रापर आफिसर द्वारा उपरोक्त विक्रेता व्यापारियों की पश्चातवर्ती फर्मों की चैन श्रृंखला की जांच करने पर सप्लाई चैन की अनुवर्ती/अन्तिम कडी पर अवस्थित सपलायर के द्वारा वास्तविक रूप से कोई खरीद न किये जाने, अर्थात् उनका जीएसटीआर 2 ए निल होने अथवा उनके द्वारा जीएसटीआर 2 बी दाखिल न किये जाने, उनके द्वारा कैश लेजर में कोई धनराशि न होने, उनके द्वारा कैश लेजर में भी आउटपुट टैक्स लाइबेलिटी का कोई समायोजन न किये जाने, तथा प्रश्नगत संव्यवहारों के संबंध में वास्तविक रूप से राजकीय कोषागार में कोई कर जमा न किये जाने की आपत्ति उठायी गयी है जो अनुचित है क्योंकि अपीलार्थी द्वारा जिन विक्रेता फर्मों से खरीदे की गयी है वह प्रश्नगत अवधियों में पंजीकृत रही है तथा उनके द्वारा प्रश्नगत बिक्रीयों को नियमानुसार लेखा पुस्तकों रिटर्नों में विधिनसार घोषित किया गया है जिसपर कोई विवाद प्रापर आफिसर द्वारा नहीं किया गया है तथा यदि उक्त विक्रेताओं की पश्चातवर्ती फर्मों द्वारा यदि कर नहीं दिया जा रहा है तो इसके लिए अपीलार्थी फर्म जिम्मेदार नहीं है तथा उनसे वसूली की कार्यवाही हेतु विभाग स्वतंत्र है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत व्यापारियों से की गयी खरीदों के संबंध में बिल, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची, लेजर एन्ट्री, भुगतान का साक्ष्य, पंजीयन प्रमाण-पत्र आदि की छाया प्रतियां दाखिल की गयी तथा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का उल्लेख किया गया तथा अंत में अपील स्वीकार किये जाने तथा विवादित आदेश से सृजित मांग समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4- विभाग की ओर से श्री सूर्यभान सिंह, संयुक्त आयुक्त(कारपोरेट सर्किल) राज्य कर, मुजफ्फरनगर उपस्थित हुये तथा विवादित आदेश को विधि एवं तथ्यों के आधार पर उचित रूप से पारित होना बताते हुए विवादित आदेश का समर्थन किये जाने का अनुरोध किया गया।

5- उभय पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया। मेरे द्वारा कर निर्धारण पत्रावली, विभिन्न मान0 न्यायिक निर्णयों, अधिनियम में अंकित विधि व्यवस्था तथा जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध तथ्यों का समग्र परिशीलन किया गया। मान0 न्यायालयों द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों एवं अधिनियम में दर्ज विधिक व्यवस्था का परिशीलन किया गया। अपील में प्रथम विवादित बिन्दु यह रहा है कि करदाता द्वारा दाखिल जीएसटीआर 2 ए की जांच पर पाया गया कि जीएसटीआर 2 ए में कतिपय इनवर्ड सप्लाई तथा आईटीसी इस प्रकार की प्रदर्शित हो रही है जिनके सप्लायर्स द्वारा जीएसटीआर 1 में वर्ष 2017-18 की कर अवधि की सप्लाई विस्तारित अवधि दिनांक 13.04.2019 के पश्चात दर्शायी गयी है, जिसका लाभ नियमानुसार देय योग्य न मानते हुए कार्यवाही की गयी है, जिसके संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियम में धारा 16(5) का समावेश किया गया है ऐसी दशा में अपीलार्थी को प्रश्नगत आईटीसी का लाभ अनुमन्य योग्य है। अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों की जांच की गयी। जांचोपरान्त पाया गया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 16(5) में निम्न व्यवस्था की गयी है-

(5) Notwithstanding anything contained in sub-section (4), in respect of an invoice or debit note for supply of goods or services or both pertaining to the Financial Years 2017-18, 2018-19, 2019-20 and 2020-21, the registered person shall be entitled to take input tax credit in any return under section 39 which is filed up to the thirtieth day of November, 2021.

चूंकि धारा 16(5) धारा 16(4) और उसके प्रावधान को ओवरराइड करती है, इसलिए आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वित्त वर्ष 2017-18 से संबंधित जीएसटीआर-1 को 13.04.2019 तक दाखिल करने की शर्त निरर्थक हो जाती है और इसलिए, यदि वित्तीय वर्ष 2017-18 से संबंधित किसी भी चालान पर आईटीसी 30.11.2021 की विस्तारित अवधि तक भी प्राप्त किया जाता है, तो उक्त आईटीसी पंजीकृत व्यक्ति के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य है। प्रश्नगत मामले में, अपीलकर्ता ने 30.11.2021 से पहले ही प्रश्नगत आईटीसी का लाभ उठाया और इसलिए, आपूर्तिकर्ताओं द्वारा जीएसटीआर-1 दिनांक 13.04.2019 के बाद दाखिल किए गए तथा प्रश्नगत खरीदों को विक्रेता द्वारा अपने

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

अपने जीएसटीआर-1 में नियमानुसार घोषित किया गया है जिसपर प्रापर आफिसर द्वारा भी कोई विवाद नहीं किया गया है। अतः धारा 16(5) में दी गयी व्यवस्था के आलोक में अपीलार्थी को प्रश्नगत आईटीसी का लाभ अनुमन्य योग्य है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रापर आफिसर द्वारा विवादित आदेश में लल्लन कुमार गुप्ता स्लपयर मानते हुए इनके द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल न किये जाने के आधार पर कार्यवाही की गयी है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त नाम के किसी व्यापारी से कोई खरीद नहीं की गयी है तथा वास्तव में उक्त व्यक्ति कोई व्यापारी न होकर एक ट्रान्सपोर्टर है। जिसके साक्ष्य हेतु बिल्टी की छाया प्रति दाखिल की गयी उक्त बिल्टी सं0 059 दिनांक 07.01.2018 के माध्यम से सर्वश्री गिन्नी इन्टरप्राइजेज मुजफ्फरनगर से इनवायस सं0 3167 दिनांक 07.01.2018 से खरीद की गयी है जो बिल टू शिप टू के माध्यम से M/s Saryansh Traders Rewari H.R. GSTIN-09ANEPG7800M1ZZ से की गयी है। उपरोक्त प्रपत्र साक्ष्य हेतु दाखिल किये गये हैं। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर इस बिन्दु पर धारा 74 के अंतर्गत कार्यवाही उचित न पाये जाने के कारण समर्थन योग्य नहीं है।

अपील में द्वितीय विवादित बिन्दु यह रहा है कि जीएसटीआर 2 ए में आटोपापुलेट आईटीसी की जांच पर पाया गया कि सप्लायर फर्म प्रमोद यादव(सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी) का जीएसटीएन दिनांक 23.09.2019 से कैंसिल होने का रहा है, जिसके संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा सप्लायर फर्म प्रमोद यादव(सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी) GSTIN-07ACOPY9140K1ZR से संगत अवधि में रू0 3105670.50 की खरीदे की गयी थी जिसपर रू0 372680.00 आईटीसी का दावा किया गया था। उपरोक्त विक्रेता से की गयी खरीदों के समय विक्रेता फर्म विभाग में पंजीकृत रही है तथा उनके द्वारा प्रश्नगत बिक्रीयों को नियमानुसार अपने जीएसटीआर-1 में विधिवत प्रदर्शित किया गया है तथा प्रश्नगत खरीदे अपीलार्थी के जीएसटीआर-2 ए में आटोपापुलेट हो रही है। अपीलार्थी का यह भी कहना है कि उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्म का पंजीयन Suo-Moto निरस्त है। अपीलार्थी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत विक्रेता से की गयी खरीद के संबंध में बिल, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची, लेजर एन्ट्री, भुगतान का साक्ष्य, जीएसटीआर 2 ए की प्रति भी दाखिल की गयी तथा उक्त फर्म को बोगस/अस्तिवहीन मानते हुए की गयी कार्यवाही को अनुचित बताया गया।

इस संबंध में मेरे द्वारा कर निर्धारण पत्रावली के अवलोकन पर निम्नलिखित तथ्य परिलक्षित होते हैं -

1- आपूर्तिकर्ता फर्म संगत अवधि वर्ष 2017-18 में विभाग में विधिवत पंजीकृत रही है तथा नियमानुसार GSTR-1/GSTR-3B/जीएसटीआर -9 दाखिल किए गए हैं।

2- आपूर्तिकर्ता फर्म सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 23.09.2019 से Suo-Moto कैंसिल किया गया है, इसके उपरान्त उक्त विक्रेता द्वारा दिये गये रिवोक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.07.2020 पर प्रापर आफिसर द्वारा आदेश सं0 ZA070820077247E दिनांक 26.08.2020 पारित करते हुए पंजीयन बहाल कर दिया गया। यह आर्डर निम्न प्रकार किया गया है - " **This has reference to your application dated 10/07/2020 for revocation of cancellation of registration. Your application has been examind and the same has been found to be in order.Accordingly, your registration is restored.**" उक्त के पश्चात उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्म का पंजीयन आदेश सं0 ZA0707212637858 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा दिनांक 01.07.2017 से कैंसिल किया गया है। उक्त से यह स्पष्ट है कि सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी वित्तीय वर्ष 2017-18 में विधिवत पंजीकृत थी, लेकिन प्रथम दिनांक 23.09.2019 से प्रभावी पंजीयन निरस्त किया गया लेकिन आपूर्तिकर्ता फर्म सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी के cancellation के विरुद्ध दिए गए प्रार्थना-पत्र के आधार पर आदेश से पंजीयन बहाल किया गया। पुनः पूर्वगामी प्रभाव से एक साल बाद पंजीयन निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्ता फर्म का कोई दूषित उद्देश्य नहीं है। अपीलार्थी द्वारा उक्त आपूर्तिकर्ता फर्म से नियमानुसार माल प्राप्त किया है जिसका समुचित साक्ष्य जांच हेतु प्रस्तुत किए गए हैं।

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

3- अपीलार्थी की ओर से संव्यवहारों के संबंध में टैक्स इनवायस,ई-वेबिल, बिल्टी तथा धर्म कॉटे की कौटा पर्ची प्रस्तुत की गयी है।

4- माल की प्राप्ति के संबंध में समुचित साक्ष्य यथा लेजर की प्रति मेरे समक्ष प्रस्तुत की गयी जिससे उक्त संव्यवहार अपीलार्थी की लेखों पुस्तकों में दर्ज होना पाया गया।

5- अपीलार्थी द्वारा नियमानुसार जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर 3 बी दाखिल किये गये है।

6- समस्त भुगतान बैंक चैनल के माध्यम से किया गया है।

मेरे द्वारा जीएसटी पोर्टल पर जांच की गयी। जांच पर पाया गया कि आपूर्तिकर्ता फर्म आपूर्तिकर्ता फर्म सर्वश्री पी0के0ट्रेडिंग कम्पनी का पंजीयन दिनांक 23.09.2019 से Suo-Moto कैसिल किया गया है, इसके उपरान्त उक्त विक्रेता द्वारा दिये गये रिवोक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10.07.2020 पर प्रापर आफिसर द्वारा आदेश सं0 ZA070820077247E दिनांक 26.08.2020 के अनुरोध पर फर्म का पंजीयन Restored किया गया। उक्त के पश्चात उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्म का पंजीयन आदेश सं0 ZA0707212637858 दिनांक 16.07.2021 के द्वारा दिनांक 01.07.2017 से कैसिल किया गया है। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपूर्तिकर्ता फर्म विभाग में विधिवत पंजीकृत रही है तथा उनके द्वारा नियमित रूप से जीएसटीआर-1/जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर-9 नियमानुसार दाखिल किये गये है। संगत वित्तीय वर्ष में आपूर्तिकर्ता फर्म विधिवत पंजीकृत रही है तथा जीएसटीआर-1/जीएसटीआर 3 बी नियमानुसार दाखिल किए गए है। उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 16 एवं नियम 36 का संदर्भ लिया जाना अपरिहार्य होगा। जीएसटी अधिनियम की धारा 16 में निम्न व्यवस्था दर्ज है- -

Eligibility and conditions for taking input tax credit-

(1) Every registered person shall, subject to such conditions and restrictions as may be prescribed and in the manner specified in section 49, be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both to him which are used or intended to be used in the course or furtherance of his business and the said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person.

(2) Notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax in respect of any supply of goods or services or both to him unless-

(a) he is in possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered under this Act, or such other tax paying documents as may be prescribed;

[(aa) the details of the invoice or debit note referred to in clause

(a) has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37.]

(b) he has received the goods or services or both. ²[Explanation.-For the purposes of this clause, it shall be deemed that the registered person has received the goods or, as the case may be, services-

(i) where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of such registered person, whether acting as an agent or otherwise, before or during movement of goods, either by way of transfer of documents of title to goods or otherwise;

(ii) where the services are provided by the supplier to any person on the direction of and on account of such registered person.]

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

(c) subject to the provisions of [section 41 or section 43A] the tax charged in respect of such supply has been actually paid to the Government, either in cash or through utilisation of input tax credit admissible in respect of the said supply; and

(d) he has furnished the return under section 39:

Provided that where the goods against an invoice are received in lots or instalments, the registered person shall be entitled to take credit upon receipt of the last lot or instalment: Provided further that where a recipient fails to pay to the supplier of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, the amount towards the value of supply along with tax payable thereon within a period of one hundred and eighty days from the date of issue of invoice by the supplier, an amount equal to the input tax credit availed by the recipient shall be added to his output tax liability, along with interest thereon, in such manner as may be prescribed: Provided also that the recipient shall be entitled to avail of the credit of input tax on payment made by him of the amount towards the value of supply of goods or services or both along with tax payable thereon.

(3) Where the registered person has claimed depreciation on the tax component of the cost of capital goods and plant and machinery under the provisions of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the input tax credit on the said tax component shall not be allowed.

(4) A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the due date of furnishing of the return under section 39 for the month of September following the end of financial year to which such invoice or ¹[***] debit note pertains or furnishing of the relevant annual return, whichever is earlier :

[Provided that the registered person shall be entitled to take input tax credit after the due date of furnishing of the return under Section 39 for the month of September 2018 till the due date of furnishing of the return under the said section for the month of March 2019 in respect of any invoice or invoice relating to such debit note for supply of goods or services or both made during the Financial Year 2017-18 the details of which have been uploaded by the supplier under sub-section (1) of Section 37 till the due date for furnishing the details under sub-section (1) of said section for the month of March, 2019.]

जी0एस0टी0 अधिनियम की नियमावली का नियम 36 निम्नवत् है -

36. (1) The input tax credit shall be availed by a registered person, including the Input Service Distributor, on the basis of any of the following documents, namely,—

(a)	an invoice issued by the supplier of goods or services or both in accordance with the provisions of section 31;
(b)	an invoice issued in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (3) of section 31, subject to the payment of tax;
(c)	a debit note issued by a supplier in accordance with the provisions of section 34;
(d)	a bill of entry or any similar document prescribed under the Customs Act, 1962 or rules made thereunder for the assessment of integrated tax on imports;
(e)	an Input Service Distributor invoice or Input Service Distributor credit note or any document issued by an Input Service Distributor in accordance with the provisions of sub-rule (1) of rule 54.

(2) Input tax credit shall be availed by a registered person only if all the applicable particulars as specified in the provisions of Chapter VI are contained in the said document, and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person:

⁶⁵[Provided that if the said document does not contain all the specified particulars but contains the details of the amount of tax charged, description of goods or services, total value of supply of goods or services or both, GSTIN of the supplier and recipient and place of supply in case of inter-State supply, input tax credit may be availed by such registered person.]

(3) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of any tax that has been paid in pursuance of any order where any demand has been confirmed on account of any fraud, wilful misstatement or suppression of facts.

⁶⁶[(4) No input tax credit shall be availed by a registered person in respect of invoices or debit notes the details of which are required to be furnished under sub-section (1) of section 37 unless,-

(a)	<i>the details of such invoices or debit notes have been furnished by the supplier in the statement of outward supplies in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility; and</i>
(b)	<i>the details of such invoices or debit notes have been communicated to the registered person in FORM GSTR-2B under sub-rule (7) of rule 60.]</i>

उक्त अधिनियम की धारा 16 के उपधारा 2 में आईटीसी लिये जाने की शर्तों का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी के प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों का परीक्षण अधिनियम की अंकित व्यवस्था के सापेक्ष किया जाना उचित होगा। अधिनियम की धारा 16 की उपधारा 2 के क्लॉज ए विवादित नहीं है क्योंकि टैक्स इनवायस उपलब्ध है। क्लॉज बी के संदर्भ में यह तथ्य दृष्टव्य है कि माल के परिवहन के संबंध में तथा माल प्राप्ति के संबंध में अपीलार्थी द्वारा टैक्स इनवायस, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची एवं अपीलार्थी के लेखों में उक्त संव्यवहार विधिवत दर्ज होना इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि प्रश्नगत माल का मूवमेन्ट हुआ है। आपूर्तिकर्ता फर्मों द्वारा जीएसटीआर-1 दाखिल किये गये हैं तथा समस्त संव्यवहार आपूर्ति प्राप्तकर्ता के जीएसटीआर 2 ए में परिलक्षित है। अतः धारा 16(2)(बी) की शर्तें पूर्ण होती हैं।

उपधारा-(2) के क्लॉज(सी) व (डी) के संबंध में यह तथ्य प्रमाणित है कि आपूर्तिकर्ता द्वारा फार्म GSTR-1 एवं फार्म GSTR-3 B नियमानुसार फाइल किये गये हैं तथा अपीलार्थी के जीएसटीआर 2 ए में आपूर्ति नियमानुसार परिलक्षित हो रही है। अपीलार्थी द्वारा भी नियमानुसार जीएसटीआर-1/जीएसटीआर 3 बी दाखिल किए गए हैं। इस प्रकार धारा 16(2) की समस्त शर्तें पूर्ण होती हैं। अतः आईटीसी का लाभ दिया जाना विधिअनुकूल है। जीएसटी नियमावली के नियम 36 में आईटीसी क्लेम करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों का उल्लेख किया गया है। समस्त प्रपत्र अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

मेरे द्वारा उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम की धारा 74 के प्रावधानों का सम्यक अवलोकन किया गया। अधिनियम की धारा 74(1) में प्रयुक्त कतिपय शब्द यथा "Froud" "wilful-misstatement" "suppression of facts to evade tax" अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकरण में यह देखा जाना अपेक्षित है कि क्या अपीलार्थी द्वारा Froud एवं Wilful-misstatement के द्वारा तथ्यों को करापवंचन के उद्देश्य से छुपाया तो नहीं गया है। धारा 74 को Apply करने के पूर्व न्याय निर्णयन अधिकारी को इस प्रश्न का स्पष्ट रूप से "Affirmative" उत्तर सुनिश्चित करना पडता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने आदेश में उक्त प्रश्न का उत्तर बिना ढूँढे ही एक Presumed Conclusion स्थापित किया गया है, जो स्वीकार योग्य नहीं है। प्रश्नगत मामले में माल की आपूर्ति अपीलार्थी द्वारा

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

प्राप्त करना प्रमाणित है, लेकिन आपूर्तिकर्ता से अपीलार्थी की मिलीभगत प्रमाणित न होने तथा " Froud" " wilful - misstatement" " suppression प्रमाणित न होने के कारण धारा 74 के प्रावधान लागु नहीं होते हैं।

अपील में तृतीय विवादित बिन्दु यह रहा है कि प्रापर आफिसर द्वारा विक्रेता सर्वश्री शुभ शक्ति क्राफ्ट GSTIN-07ANZPS2819M1ZZ तथा सर्वश्री इशान पेपर ट्रेडर्स GSTIN-07BBGPG1866A1Z2 की सप्लाई चेन की जांच करने पर अनुवर्ती/अन्तिम कडी पर अवस्थित सप्लायर के द्वारा वास्तविक रूप से कोई खरीद न किये जाने, अर्थात् उनका जीएसटीआर 2 ए निल होने अथवा उनके द्वारा जीएसटीआर 2 बी दाखिल न किये जाने, उनके द्वारा कैश लेजर में कोई धनराशि न होने, उनके द्वारा कैश लेजर में भी आउटपुट टैक्स लाइबेलिटी का कोई समायोजन न किये जाने, तथा प्रश्नगत संव्यवहारों के संबंध में वास्तविक रूप से राजकीय कोषागार में कोई कर जमा न किये जाने के आधार पर कार्यवाही की गयी है, जिसके संबंध में अपीलार्थी का कहना है कि अपीलार्थी द्वारा सर्वश्री शुभ शक्ति क्राफ्ट GSTIN-07ANZPS2819M1ZZ से संगत अवधि में कुल ₹0 3,79,54,402.70 की खरीद की गयी थी जिसपर ₹0 27,56,313.27 की आईजीएसटी अदा करते हुए आईटीसी का दावा किया गया था। इसी प्रकार सर्वश्री इशान पेपर ट्रेडर्स GSTIN-07BBGPG1866A1Z2 से संगत अवधि में कुल ₹0 47,56,957.00 की खरीदे की गयी थी जिसपर ₹0 3,25,298.00 की आईजीएसटी अदा करते हुए आईटीसी का दावा किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उपरोक्त विक्रेताओं से की खरीदों को विक्रेता व्यापारियों द्वारा अपने जीएसटीआर-1 में विधिवत रूप से दर्ज किया गया है तथा उपरोक्त खरीदें अपीलार्थी के जीएसटीआर-2 ए में आटोपापुलेट हो रही हैं। विक्रेता एवं अपीलार्थी द्वारा संगत अवधि हेतु जीएसटीआर 1 व जीएसटीआर 3 बी व जीएसटीआर 9 नियमानुसार दाखिल किये गये हैं तथा उपरोक्त आपूर्तिकर्ता फर्मों में सर्वश्री शुभ शक्ति क्राफ्ट का पंजीयन दिनांक 17.09.2022 तथा सर्वश्री इशान पेपर ट्रेडर्स का पंजीयन दिनांक 05.04.2024 से Suo-Moto कैंसिल है। स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में आपूर्तिकर्ता फर्म विभाग में विधिवत पंजीकृत रही हैं तथा उनके द्वारा नियमित रूप से व्यापार किया गया है। विवादित आदेश में प्रापर आफिसर द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य विवचित नहीं किया गया है जिससे उपरोक्त खरीदे अपीलार्थी के जीएसटीआर 2 ए में आटोपापुलेट न होने के संबंध में कोई विवाद नहीं किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत खरीदों के संबंध में बिल, ई-वेबिल, बिल्टी, कॉटा पर्ची, लेजर की प्रति दाखिल की गयी है तथा प्रश्नगत खरीदें क्रेता व विक्रेता के रिटर्न में विधिनुसार घोषित की गयी हैं। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा प्रश्नगत मामले में धारा 16(2)(सी) एवं नियमावली के नियम 36 का अनुपालन किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रापर आफिसर ने विक्रेता फर्मों के पश्चातवर्ती फर्मों की सप्लाई चेन की जांच पर कमियों पाये जाने के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है जबकि इस संबंध में उक्त विक्रेता फर्मों के प्रापर आफिसर द्वारा धारा 73/74 में कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। **अतः उक्त संबंध में उक्त विक्रेताओं के प्रापर आफिसर को धारा 73/74 में कार्यवाही हेतु सूचना प्रेषित किये जाने हेतु प्रापर आफिसर स्वतंत्र होंगे।**

मेरे द्वारा अपीलार्थी द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों का भी सम्यक परिशीलन किया गया जैसे *LGW Industries Ltd. v. Union of India, Bharti Telemedia Ltd. v. Union Of India* and *Nayara Energy Ltd. v. Union of India, Sahil Enterprises v. Union of India* एवं *Sanchita Kundu & Anr. Vs. The Assistant Commissioner of State Tax, Bureau of Investigation, South Bengal & Ors.* आदि।

उक्त के अतिरिक्त HIGH COURT OF MADRAS D.Y. Beathel Enterprises v. State Tax Officer (Data Cell), Tirunelveli 2127/2021 W.P.(MD)NOS. 2127, 2117, 2121, 2152, 2159, 2160, 2168, 2177, 2500, 2530, 2532, 2534, 2538, 2539, 2540, 2503 & 2504 OF 2021 W.M.P. (MD) NOS. 1781 & 1791 OF 2021 & OTHER FEBRUARY 24, 2021में यह मत व्यक्त किया है कि- " The dep. Should Proceed against the selling dealer first in Cases where the supplier has collected tax from the purchasing dealer."

अपीलसं०:-GST/0364/2023 वर्ष 2017-18 GST की धारा 74 (JULY 2017 TO MARCH 2018)

M/s Shakumbhari Pulp and Paper Ltd 4.50 km Stone Bhopa Road Muzaffarnagar.

उक्त के अतिरिक्त Kolkata HC in recent judgment -" It is found upon considering the relevant documents that all the purchases and transactions in question are genuine and supported by valid documents and transaction in question were made before the cancellation of registration of those suppliers and after taking into consideration the judgments of the Hon. Supreme Court and Various High Courts which have been referred in the order and in that event the petitioner shall be given the benefit of ITC in question."

समस्त न्यायिक निर्णयों, अधिनियम में अंकित व्यवस्था एवं अपीलार्थी के प्रकरण के तथ्यों के संज्ञान में रखते हुए विवेचना करने पर प्रापर आफिसर की कार्यवाही को मान्यता दिया जाना संभव नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं उक्त न्यायिक निर्णयों के आलोक में अपीलकर्ता द्वारा दायर की गयी अपील स्वीकार की जाती है तथा विवादित आदेश से आरोपित विवादित रू० 9,01,378.00 कर, रू० 8,51,269.00 ब्याज व रू० 9,33,695.00 अर्थदण्ड कुल रू० 26,86,342.00 समाप्त किया जाता है।

:आदेश ::

अपील सं० :-GST/0364/2023 वर्ष 2017-18 GST की धारा 74 (JULY 2017 TO MARCH 2018) स्वीकार की जाती है तथा विवादित आदेश से आरोपित विवादित रू० 9,01,378.00 कर, रू० 8,51,269.00 ब्याज व रू० 9,33,695.00 अर्थदण्ड कुल रू० 26,86,342.00 समाप्त किया जाता है। इस मद में अधिक जमा धनराशि यदि कोई हो तो वह अपीलार्थी को नियमानुसार वापसी/समायोजन योग्य है।

दिनांक- :: जनवरी, 16 , 2025

Digitally
signed by
(अरुण कुमार सिंह)
Arun Kumar
अपर आयुक्त ग्रेड-2 (अपील),
राज्य कर, न्यायिक सम्भाग-मुजफ्फरनगर।